"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 30] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 27 जुलाई 2018—श्रावण 5, शक 1940

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं श्रीमती गीता यादव ध. प. श्री मन्ना लाल यादव, उम्र 42 वर्ष, निवासी-बंगाली कालोनी, गोंडपारा, वार्ड नं.-43 बसंतपुर, राजनांदगांव (छ. ग.) की हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम रवन्नम सोनी आत्मजा श्री सन्यासी राव सोनी था. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम/उपनाम श्रीमती गीता यादव रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती गीता यादव ध. प. श्री मन्ना लाल यादव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
रवन्नम सोनी (RAVANAM SONI) पिता- श्री सन्यासी राव सोनी निवासी-बैगापारा, शितला नगर, दुर्ग तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	श्रीमती गीता यादव (Smt. GEETA YADAV) पति- श्री मन्ना लाल यादव निवासी-बंगाली कालोनी, गोंडपारा, वार्ड नं.-43 बसंतपुर, राजनांदगांव तह. व जिला-राजनांदगांव (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अमिताभ अग्रवाल आत्मज श्री साखी गोपाल अग्रवाल, निवासी-म. नं.-बी-7, वालफोर्ट सिटी, रिंग रोड नं.-1, थाना पुरानी बस्ती, रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरी पुत्री का नाम पलक अग्रवाल था, जो कि कक्षा 1 ली के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में दर्ज है. मैं अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर नया नाम आकृति अग्रवाल रख लिया हूं, जो कि वर्तमान के समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड व पासपोर्ट में दर्ज है.

अत: अब मेरी पुत्री को आकृति अग्रवाल आत्मजा अमिताभ अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

पलक अग्रवाल
पिता-श्री अमिताभ अग्रवाल
निवासी-म. नं.-बी-7,
वालफोर्ट सिटी, रिंग रोड नं.-1,
थाना पुरानी बस्ती, रायपुर
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नया नाम

आकृति अग्रवाल
पिता-श्री अमिताभ अग्रवाल
निवासी-म. नं.-बी-7,
वालफोर्ट सिटी, रिंग रोड नं.-1,
थाना पुरानी बस्ती, रायपुर
तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विद्यानिधि शास्त्री आत्मज स्व. कन्हैया लाल, उम्र 52 वर्ष, निवासी-वार्ड नं.-12, आर्य समाज मंदिर, पुरानी बस्ती, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि पूर्व में मेरा नाम कुन्तल कुमार आत्मज श्री कन्हैया लाल था, जो कि कक्षा 1 ली से लेकर 4 थी तक के प्रमाण पत्रों में दर्ज है, कक्षा पांचवी से लेकर स्नातक तक मेरा नाम विद्यानिधि दर्ज है. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम विद्यानिधि शास्त्री रख लिया हूं, जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, ड्रायविंग लायसेंस आदि में दर्ज है, इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे विद्यानिधि शास्त्री आ. स्व. कन्हैया लाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कुन्तल कुमार
(Kuntal Kumar)
विद्यानिधि
(Vidyanidhi)
पिता-श्री कन्हैया लाल
निवासी-वार्ड नं.-12,
आर्य समाज मंदिर,
पुरानी बस्ती, सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

विद्यानिधि शास्त्री
(Vidyanidhi Shastri)
पिता-स्व. कन्हैया लाल
निवासी-वार्ड नं.-12,
आर्य समाज मंदिर,
पुरानी बस्ती, सुपेला, भिलाई,
तह. व जिला -दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रामदेव सिंह चंदेल आत्मज स्व. अमरसिंह, उम्र 68 वर्ष, जाति लोधी, निवासी-साल्हेखुर्द, तहसील धमधा, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरा सही व वास्तविक नाम रामदेव सिंह चंदेल है जो कि मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, बैंक पासबुक तथा अन्य आवश्यक अभिलेखों में दर्ज है, किन्तु मेरे राजस्व रिकार्ड व मेरे नाम की भूमि के ऋण पुस्तिका में मेरा नाम "नामदेव" दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व राजस्व रिकार्ड, ऋण पुस्तिका में मेरा सही व पूर्ण नाम "रामदेव सिंह चंदेल" दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे रामदेव सिंह चंदेल आ. स्व. अमरसिंह के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
नामदेव पिता- स्व. अमरसिंह निवासी-साल्हेखुर्द, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)	रामदेव सिंह चंदेल पिता-स्व. अमरसिंह निवासी-साल्हेखुर्द, तहसील-धमधा, जिला-दुर्ग (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मुरलीधर गढ़ेवाल आत्मज स्व. कार्तिक राम गढ़ेवाल, उम्र 61 वर्ष, जाति कतिया, निवासी-"मुरलीधर निवास" बुनकर सोसायटी के सामने, आमापारा रायपुर, तहसील व जिला रायपुर (छ. ग.) का हूं. यह कि मैं अधीक्षण अभियंता (वृत) छ. ग. राज्य विद्युत वितरण कंपनी, मर्यादित, गुढ़ियारी रायपुर में कार्यरत हूं, मेरे प्राथमिक तथा, माध्यमिक कक्षाओं के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में मेरा सही नाम/उपनाम मुरलीधर गढ़ेवाल (Murlidhar Garhewal) दर्ज है. किन्तु मेरे हायर सेकेन्डरी के शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम/उपनाम "गरेवाल" (Garewal) दर्ज है. जो कि त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों व अन्य शासकीय/अर्द्धशासकीय अभिलेखों व दस्तावेजों में मेरा सही व पूर्ण नाम/उपनाम मुरलीधर गढ़ेवाल (Murlidhar Garhewal) दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अतः अब मुझे मुरलीधर गढ़ेवाल (Murlidhar Garhewal) आ. स्व. कार्तिक राम गढ़ेवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
मुरलीधर गरेवाल (Murlidhar Garewal) पिता-स्व. कार्तिक राम गढ़ेवाल निवासी-"मुरलीधर निवास", बुनकर सोसायटी के सामने, आमापारा रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)	मुरलीधर गढ़ेवाल (Murlidhar Garhewal) पिता-स्व. कार्तिक राम गढ़ेवाल निवासी-"मुरलीधर निवास" बुनकर सोसायटी के सामने, आमापारा रायपुर, तह. व जिला-रायपुर (छ. ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, रूपेन्द्र कुमार वर्मा आत्मज श्री गोवर्धन प्रसाद वर्मा, उम्र 46 वर्ष निवासी-क्वा. नं.140/F, रिसाली, भिलाई, जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. यह कि मेरे कुछ आवश्यक प्रमाण पत्रों, अभिलेखों/दस्तावेजों में मेरा नाम रूपेन्द्र कुमार आ. श्री गोवर्धन प्रसाद दर्ज है जो कि अपूर्ण व त्रुटिपूर्ण है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम "वर्मा" जोड़वाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे रूपेन्द्र कुमार वर्मा आ. श्री गोवर्धन प्रसाद वर्मा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	**नया नाम**
रूपेन्द्र कुमार पिता-श्री गोवर्धन प्रसाद निवासी-क्वा. नं.140/F, रिसाली, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)	रूपेन्द्र कुमार वर्मा पिता-श्री गोवर्धन प्रसाद वर्मा निवासी-क्वा. नं.140/F, रिसाली, भिलाई, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.)

विविध

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 22 जून 2018

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2018/1231.—वस्तुत: महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. खैरा, पं. क्र. 172, दिनांक 06-10-2004 विकासखण्ड कोटा जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन (संशोधित) आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1117 दिनांक 06-06-2014 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री एस. आर. भगत सहकारिता विस्तार अधिकारी कोटा को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियॉं जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. खैरा, पं. क्र. 172, दिनांक 06-10-2004 विकासखण्ड कोटा जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 22 जून 2018

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2018/1232.—वस्तुत: विविध बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. रूमगा, पं. क्र. 2764, दिनांक 27-12-1963 विकासखण्ड मरवाही जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन (संशोधित) आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1117 दिनांक 06-06-2014 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री आर. एल. सिंह वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् विविध बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या. रूमगा, पं. क्र. 2764, दिनांक 27-12-1963 विकासखण्ड मरवाही जिला बिलासपुर (छ. ग.) का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 22 जून 2018

छ. ग. सहकारी समिति अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के अंतर्गत

क्रमांक/परि./2018/1233.—वस्तुत: जनजाति वन श्रमिक सहकारी समिति मर्या. नाका, पं. क्र. 2659, दिनांक 26-03-1962 विकासखण्ड मरवाही जिला बिलासपुर (छ. ग.) को कार्यालयीन (संशोधित) आदेश क्रमांक/परिसमापन/2014/1117 दिनांक 06-06-2014 के द्वारा परिसमापन में लाया जाकर छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 70 (1) के तहत् श्री आर. एल. सिंह वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त किया गया था. परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुये अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. अतएव परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित होगा.

अत: मैं दिलीप जायसवाल, उप पंजीयक सहकारी संस्थाऐं बिलासपुर, छत्तीसगढ़ शासन सहकारिता विभाग के अधिसूचना क्रमांक/15-23/15-02/2015/3 दिनांक 26-10-2017 द्वारा रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियाँ जो मुझमें वैष्ठित है का प्रयोग करते हुये छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) के तहत् जनजाति वन श्रमिक सहकारी समिति मर्या. नाका, पं. क्र. 2659, दिनांक 26-03-1962 विकासखण्ड मरवाही जिला बिलासपुर (छ. ग.) को का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निगम निकाय (बॉडी कारपोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 22-06-2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

दिलीप जायसवाल,
उप पंजीयक .

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2018.